डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2001—श्रावण 19, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त, 2001

क्रमांक डी/4180/21-अ (प्रारूपण) छ.ग./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अधिनियम (क्रमांक 9 सन् 2001) सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

"छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 5) अधिनियम (क्रमांक 9 सन् 2001) 2001."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) अधिनियम , 2001

वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) अधिनियम, 2001 (क्र. 9 सन् 2001) है.

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये राज्य की संचित निधि में से 4,49,31,62,057 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग चार सौ उन्चास करोड़, इक्तीस लाख, बासठ हजार, सत्तावन रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		योग
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	35,15,00,000	35,15,00,000
01.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1,54,26,000	62,79,000	2,17,05,000
02.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	36,00,000	0	36,00,000
03.	पुलिस	राजस्व	200	0	200
05.	जेल	राजस्व	25,00,000	0	25,00,000
06.	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	9,30,000	0	9,30,000
07.	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	43,70,49,000	0	43,70,49,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
08.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	7,00,000	0	7,00,000
10.	वन	राजस्व	2,88,80,000	0	2,88,80,000
		पूंजी	10,00,200	0	10,00,200
11.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,34,94,000	0	6,34,94,000
		पूंजी	15,00,000	0	15,00,000
12.	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	8,61,64,000	0	8,61,64,000
13.	कृषि	राजस्व	37,84,68,057	0	37,84,68,057
14.	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	12,75,000	0	12,75,000
15.	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	14,00,000	0	14,00,000
17.	सहकारिता	राजस्व	25,38,000	0	25,38,000
		पूंजी	9,26,04,000	0	9,26,04,000
18.	श्रम	राजस्व	4,92,000	0	4,92,000
19.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	4,85,88,000	0	4,85,88,000
20.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	23,45,92,500	0	23,45,92,500
		पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
21.	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,18,68,000	0	6,18,68,000
		पूंजी	55,43,40,000	0	55,43,40,000
23.	जल संसाधन विभाग	पूंजी	25,00,000	0	25,00,000
24.	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	पूंजी	16,22,42,000	0	16,22,42,000
26.	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,21,42,000	0	1,21,42,000
27.	स्कूल शिक्षा	राजस्व	34,64,33,000	0	34,64,33,000
28.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	1,72,57,000	0	1,72,57,000
29.	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	65,29,000	21,00,000	86,29,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
30.	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	65,51,31,100	0	65,51,31,100
32.	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0	100
36.	परिवहन	राजस्व	15,80,000	0	15,80,000
37.	पर्यटन	राजस्व	85,20,000	0	85,20,000
41.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	25,60,29,000	0	25,60,29,000
		पूंजी	5,10,00,000	0	5,10,00,000
42.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	2,26,00,000	0	2,26,00,000
45.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	8,75,000	0	8,75,000
		पूंजी	8,35,00,000	0	8,35,00,000
47.	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	राजस्व	1,02,00,000	0	1,02,00,000
48.	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान.	पूंजी	3,50,00,000	0	3,50,00,000
52.	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	11,00,000	0	11,00,000
54.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
55.	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	2,64,00,000	0	2,64,00,000
56.	ग्रामोद्योग	राजस्व	2,11,94,000	0	2,11,94,000
64.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	राजस्व	9,13,82,000	0	9,13,82,000
		पूंजी	10,31,34,900	0	10,31,34,900
67.	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	2,60,16,000	0	2,60,16,000
68.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	10,00,000	0	10,00,000
79.	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,77,00,000	0	2,77,00,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
80.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	87,19,000	0	87,19,000
81.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	2,76,90,000	0	2,76,90,000
	योग	राजस्व	2,89,68,45,957	35,98,79,000	3,25,67,24,957
		पूंजी	1,23,64,37,100	0	1,23,64,37,100
	बृहद योग		4,13,32,83,057	35,98,79,000	4,49,31,62,057

" यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई, 2001 को पारित किया गया."

रायपुर :

दिनांक : 2 अगस्त, 2001.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.